

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001

सं. - पीएन/ईसीआई/2017

दिनांक: 16 मार्च, 2017

विषय: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता-तत्सम्बन्धी।

प्रेस नोट

1. भारत निर्वाचन आयोग ने यह पाया है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की राज्य विधान सभाओं के हाल में आयोजित साधारण निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के उपरांत, कुछ राजनीतिक दलों ने, उक्त निर्वाचनों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेर-फेर किए जाने का आरोप लगाते हुए, भारत निर्वाचन आयोग की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईसीआई-ईवीएम) की विश्वसनीयता के विरुद्ध आवाज उठाई है। एक अभ्यावेदन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के राष्ट्रीय महासचिव से बिना कोई विनिर्दिष्ट आरोप के 11.03.2017 को प्राप्त हुआ था। आयोग ने अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए 11.03.2017 को ही बसपा को विस्तृत प्रत्युत्तर दे दिया है। आयोग का उत्तर www.eci.in पर उपलब्ध है।

2. ईसीआई-ईवीएम के साथ कथित रूप से हेर-फेर किए जा सकने के बारे में ऐसी चिंताएं पहले भी, इनका प्रचलन शुरू करने के समय से ही और उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी उठाई जाती रही हैं। ये आरोप खारिज कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग साफ-साफ शब्दों में दोहराता है कि कारगर तकनीकी एवं प्रशासनिक रक्षोषायों को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हेर-फेर किए जाने लायक नहीं हैं और निर्वाचकीय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा परिरक्षित है।

3. इस विषयक कुछेक तथ्यों पर एक बार फिर गौर करना नागरिकों एवं सभी संबंधितों की सूचना के लिए उपयोगी होगा।

4. ईवीएम की पृष्ठभूमि

मत पत्रों के इस्तेमाल से जुड़ी कतिपय समस्याओं को दूर करने और प्रौद्योगिकीय प्रगति का इस दृष्टि से फायदा उठाने के उद्देश्य से कि मतदाता बिना किसी परिणामी संदिग्धता के अपने मत सही तरीके से डालें और अमान्य मतों की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएं, आयोग ने दिसंबर, 1977 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का विचार प्रस्तुत किया। संसद द्वारा विधि में दिसंबर, 1988 में संशोधन किया गया और वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए आयोग को समर्थ बनाते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 61क अंतःस्थापित की गई। संशोधित उपबंध 15 मार्च, 1989 से लागू हुए।

केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 1990 में कई मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के प्रतिनिधियों से बनी निर्वाचकीय सुधार समिति नियुक्त की। निर्वाचन सुधार समिति ने और आगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें एक सुरक्षित प्रणाली हैं। इसलिए, विशेषज्ञ समिति ने अप्रैल, 1990 में सर्वसम्मति से बिना कोई समय गंवाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करने की सिफारिश की।

